"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकिट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई,दिनांक 30–05–2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 450]   रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1अक्टूबर 2013—आश्विन 9, शक 1935

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2013

आदेश

क्रमांक 2042/एफ 21/18/2013/13/2/ऊ.वि./वि.दुर्घ.-मुआवजा .—— राज्य शासन द्वारा बिजली दुर्घटना में व्यक्ति/व्यक्तियों तथा मवेशियों की मृत्यु पर राज्य की संबंधित विद्युत कंपनियों द्वारा देय मुआवजा में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है.

तदानुसार नीचे तालिका में दर्शाये अनुसार मुआवजे का भुगतान करने के निर्देश है :-

क्र.	प्रभावित	देय मुआवजा
1.	व्यक्ति/व्यक्तियों	प्रत्येक व्यक्ति के वारिसों को राशि रुपये 2 लाख की दर से मुआवजे का भुगतान किया जाए.
2.	मवेशी/मवेशियों	राजस्व पुस्तक परिपत्र में अधिसूचित राशि से 4 गुणा राशि के समतुल्य मुआवजे का भुगतान किया जाए.

उपरोक्तानुसार देय मुआवजा ऐसे प्रकरणों में भी प्रभावशील रहेगा जिनमें मुआवजे का भुगतान आदेश जारी होने की तिथि पर नहीं किया गया है.

आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आनंद बाबू, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.